

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या115/भू अ०

दिनांक : 6/2/18

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- बुतुरूआडीह, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-800, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- बुतुरूआडीह, थाना-मोहनपुर, थाना सं०- 800, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 6.52 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-


क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	207	रैयती	बाड़ी-2	1.28	कुशमी देवी वो सुनिता देवी वो छविया देवी पे० एतवारी महतो वो सुरेश यादव वो दिनेश यादव वो नवल किशोर यादव वो सिकन्दर यादव वो पप्पु यादव पे० रामकृष्ण महता वो मन्दोदरी देवी पति विश्वनाथ यादव अंश समान सा० बंका।	मौजा खड्डैय आडीह थाना संख्य 1-79	मौजा आराजी बुतुरूआडीह	अर्जित दाग का अंश रकवा	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	4	192	रैयती	धानी-2	0.07	हरदयाल यादव वो नन्दकुमार यादव वो नुनदेव यादव वो त्रिलोकी यादव पे० जगरनाथ महतो वो वसन्ती पति वासुदेव यादव वो महेश्वर प्र० यादव वो जितेन्द्र यादव वो विनोद यादव वो अशोक यादव पे० बैजनाथ महतो वो पंचानंद महतो पे० कटकी महतो अंश समान सा० बंका।	7	आडीह थाना संख्या-801		
3	8	182	रैयती	बाड़ी-2	1.05	लाल टुडू वो रावन टुडू माता बुधनी मुर्मू अंश समान सा० खड्डैयाडीह।				
4	18	197	रैयती	बाड़ी-2	0.68	नवल किशोर यादव वो यशोदा महतवाईन वो गुना महतवाईन, माता धिरजी महतवाईन वो भूनेश्वर महतो माता बुलुआ महतवाईन वो मलेट्टी यादव वो प्रेम यादव वो हेमलाल यादव पे० नेमो महतो वो पल्टू महतो पे० महाराज महतो वो भोला यादव वो शंभू यादव वो त्रिभुवन यादव पे० नकुल महतो वो शंभु यादव वो रंजन यादव पे० सुमेश्वर यादव वो प्रभु महतो पे० सीता महतो वो गणेश महतो पे० रामकेशर महतो वो गूडशन महतो वो भरत यादव वो अनुप प्र० यादव पे० पुटन महतो वो पोखन महतो पे० महावीर महतो 1/4 अंश वो राम टहल यादव वो दशरथ यादव वो सुरेन्द्र यादव वो राजेश यादव पे० शारदा महतो वो हरदयाल यादव वो नन्दकुमार यादव वो नुनदेव यादव वो त्रिलोकी यादव पे० जगरनाथ महतो वो बसन्ती देवी पति वासुदेव यादव वो महेश्वर प्र० यादव वो जितेन्द्र यादव वो विनोद				

						यादव वो अशोक यादव पे० बैजनाथ यादव वो पन्चानन्द महतो पे० कटकी महतो 1/4 अंश वो इन्द्रमणि यादव वो शंकर यादव वो लक्ष्मी प्र० यादव वो राजेन्द्र प्र० यादव वो मेघलाल यादव पे० मुनी महतो वो डीप्टी प्र० यादव पे० सुकदेव प्र० यादव वो श्याम सुन्दर यादव वो योगेन्द्र यादव पे० तारणी महतो 1/4 अंश वो गौरी देवी पति विशेश्वर यादव वो विमलेश्वर यादव वो बंकेश्वर यादव पे० देवेन्द्र महतो वो अवध किशोर यादव वो नरेश यादव पे० हरि महतो वो सुलोचना देवी पति सुबोध यादव वो केशरी देवी पति काबु यादव वो हरिशंकर यादव माता हिरनी देवी वो चतुरगुन यादव वो राजू यादव, माता रमनी देवी 1/4 अंश समान सा० बंका।				
5	18	185	रैयती	धानी-2	3.04	तथैव।				
6	18	188	रैयती	धानी-2	0.40	तथैव।				
कुल रकवा-					6.52					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


5/2/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 115 / भू अ0, देवघर, दिनांक 6/2/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघरको सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


5/2/18

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।